सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
Ministry of Social Justice & Empowerment
निःशक्तता कार्य विभाग/Department of Disability Affairs

केस संख्या : 9/1014/2013 **दिनांक : 13.06.2014**

के मामले मेः-

डॉ. संजीव खैमरिया,
पुरानी शिवपुरी, बड़ा बाजार,
आलापुरी, शिवपुरी - 473551
(मध्य प्रदेश) ..... शिकायतकर्ता

बनाम

डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय,
(द्वारा कुलपति),
सागर (मध्य प्रदेश) ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः- 13.05.2014

उपस्थितः

1. श्री अमितेश कुमार, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।
2. श्री ओम प्रकाश खैमरिया, शिकायतकर्ता की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, डॉ. संजीव खैमरिया, अस्थिबाधित व्यक्ति ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति से संबंधित शिकायत दिनांक 27.05.2013 प्रस्तुत की है ।

2. शिकायतकर्ता का कहना था कि श्री दीपांकर बनर्जी, आयुक्त, निःशक्तजन, मध्य प्रदेश ने दिनांक 08.04.2011 को कुलपति, डॉ. हरीसिंह विश्वविद्यालय को शिकायतकर्ता की योग्यताओं को देखते हुए उन्हें विकलांग कोटे के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक हिन्दी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए थे । पुनः एक अनुस्मारक पत्र भी दिनांक 14.07.2011 को कुलपति सागर विश्वविद्यालय को भेजा गया था । प्रार्थी का आगे कहना है कि चयन प्रक्रिया अक्तूबर, 2012 में प्रारंभ हुई । दिनांक 22.02.2013 को सागर विश्वविद्यालय में मौखिक प्रस्तुतिकरण के दौरान, प्रस्तुतिकरण लेने वाले

.....2/-

अधिकारियों ने उनके दस्तावेज़ों को खोलकर भी नहीं देखा । 12 अप्रैल को होने वाले साक्षात्कारों से एक दिन पूर्व जारी साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची में भारी धांधली करते हुए उनकी विकलांगता, शोध कार्यों और संस्कृति मंत्रालय की फैलोशिप का कोई उल्लेख नहीं किया गया ।

3. शिकायतकर्ता का आगे कहना था कि साक्षात्कार के लिए उनकी मैरिट में 30 अंक थे, जिनमें 12वीं के 2, बी.ए. के 4, एम. ए. के 4, नेट के 1, पीएचडी के 4, जेआरएफ के 2, 25 अंतर्राष्ट्रीय शोधपत्रों के 5, 25 सेमिनारों के 3, 1 पुस्तक के 1 या 2 अध्यायों के 1 अंक और 7 वर्ष अनुभव के 3 अंक थे, जिसके आधार पर उनका मैरिट में दूसरा स्थान बनता था जबकि शिकायतकर्ता को 48वें स्थान पर डाला गया । शिकायतकर्ता ने साक्षत्कार बोर्ड के समक्ष लिखित रूप में शिकायत प्रस्तुत की । साक्षात्कार के समय भी साक्षात्कार बोर्ड का व्यवहार उचित नहीं था और उन्होंने योग्यताओं और शोध कार्यों को भी नहीं देखा तथा दो मिनट में ही उपेक्षापूर्ण तरीके से उसे रवाना कर दिया ।

4. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नोटिफिकेशन संख्या 16-70/2004-डी.डी.- III दिनांक 15.03.2007 के अनुसार लेक्चरार, रीडर, प्रोफेसर का पद विकलांगता की OA, OL, OAL, BL, HH, B बरा LV श्रेणियों के लिए चिन्हित है ।

5. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धरा 33 के अनुसार –

प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक स्थापन में निःशक्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए उतनी प्रतिशत रिक्तियां नियत करेगी जो तीन प्रतिशत से कम न हों, जिसमें से प्रत्येक निःशक्तता के लिए पता लगाए गए पदों में से एक प्रतिशत निम्नलिखित से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात्- (i) अंधता या कम दृष्टि (ii) श्रवण शक्ति का ह्रास और (iii) चलन निःशक्तता या प्रमस्तिष्क घात ।

परन्तु समुचित सरकार, किसी विभाग या स्थापन में किए जा रहे कार्य की किस्म को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।

6. मामला अधिनियम की धारा 59 के अधीन कुलपति, डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 19.09.2013 द्वारा उठाया गया ।

7. चूंकि प्रतिवादी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, उन्हें इस न्यायालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.11.2013 द्वारा मामले में अपने टिप्पण भेजने के लिए कहा गया।

8. प्रतिवादी ने अपने पत्रांक आर/2013/154 दिनांक 14.11.2013 के द्वारा सूचित किया कि डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर ने ने अपने अध्यापन विभागों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए दिनांक 30.10.2010 को रोलिंग विज्ञापन संख्या आर-03/टी/पी/आर ए/2010 प्रकाशित किया, जिसकी

पदों के आरक्षण के संबंध में अधिसूचना सं. डीओएफए/2012/270 दिनांक 12.10.2012 को विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर अपलोड की गई थी । उक्त अधिसचूना में सहायक प्रोफेसर के काडर में निःशक्त व्यक्ति प्रवर्ग के अधीन दो पद दर्शित किए गए थे । उक्त विज्ञापन के उत्तर में शिकायतकर्ता ने हिन्दी विषय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया । छानबीन समिति ने उनके शैक्षिक अभिलेख, शोध प्रकाशन, अध्यापन/शोध अनुभव और निःशक्तता प्रमाणपत्र की परीक्षा करने के पश्चात् शिकायतकर्ता को साक्षात्कार के लिए बुलाया । शिकायतकर्ता दिनांक 12.04.2013 को साक्षात्कार हेतु चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए । चयन समिति ने उनके शैक्षिक अभिलेखों, अध्यापन अनुभव और साक्षात्कार को देखते हुए उनकी हिन्दी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं की । अतः शिकायतकर्ता का चयन समिति के अचरण के विरुद्ध अभिकथन करना अनाधिकृत है । शिकायतकर्ता का यह तर्क कि छानबीन समित द्वारा तैयार की गई मेरिट अंक सूची के अनुसार उसे दूसरे स्थान पर रखा जाना चाहिए था जबकि उसे 48वें स्थान पर रखा गया, भी आधारहीन है । विश्वविद्यालय ने सहायक प्रोफेसर काडर के दो पद निःशक्त व्यक्ति कोटा के अधीन विज्ञापित किए थे । चयन समिति ने निःशक्त व्यक्ति कोटा के अधीन दो अभ्यर्थियों अर्थात् श्री अल्ताफ अमीनसाब मुलानी की परफोरमिंग एण्ड फाइन आर्टस विभाग और डा. मिलिन्द मधुसूदन देशमुख की रसायन विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश की थी । उपरोक्त की दृष्टि से शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए कथन असत्य, भ्रामक और तथ्यहीन हैं ।

9. प्रतिवादी का आगे कहना था कि यह विश्वविद्यालय 2009 के संसद के अधिनयम द्वारा 15.01.2009 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है । इसके पूर्व यह मध्य प्रदेश राज्य के अधीन एक राज्य विश्वविद्यालय था । विश्वविद्यालय द्वारा पदों को भरने के लिए विज्ञापन 15.01.2009 के पश्चात् जारी किया गया था । अभिलेख के अनुसार समूह क, ख, ग और घ वर्गो में निःशक्त व्यक्तियों के प्रवर्गों के लिए 24 रिक्तियां विज्ञापित की गई थी । वर्तमान तारीख तक समूह ए में 02 पदो पर, समूह सी/डी (मल्टी टास्किंग स्टाफ) में 02 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं । निःशक्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के बाकी पदों पर भर्ती की प्रक्रियां जारी है । जैसे ही भर्ती पूर्ण हो जाएगी, उसकी सूचना से इस न्यायालय को अवगत कराया जाएगा ।

10. प्रतिवादी से प्राप्त पत्र दिनांक 14.11.2013 की प्रति शिकायतकर्ता के टिप्पण हेतु इस न्यायालय के पत्र दिनांक 31.01.2014 द्वारा भेजा गया था ।

11. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 17.02.2014 द्वारा कहा कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत शिकायत के संबंध में दो पक्ष रखे हैं, एक पक्ष डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय का, जोकि आंकठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है । वहीं दूसरा पक्ष उनका है जिसके साथ स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है । पूरी भर्ती प्रक्रिया एवं साक्षात्कार में वे विकलांग श्रेणी में सर्वाधिक योग्य थे । किसी के पास एम.ए. (प्रथम श्रेणी), नेट, पी.एच.डी. जे.आर.एफ. संस्कृति मंत्रालय, भारत संरकार में 7 वर्ष का अनुभव, 60 शोधपत्र प्रकाशित, 1 पुस्तक, 3 अध्याय आदि योग्यता एक साथ नहीं थी, फिर भी उन्हें वंचित किया गया,

जिसके कारण उन्हें अपना अध्यापन क्षेत्र छोड़ना पड़ा । विश्वविद्यालय का यह कथन कि उन्होंने विकलांगों के लिए आरक्षित पदों पर दो विकलांगों का चयन कर लिया है । श्री मिलिंद मधुसूदन देशमुख (रसायत शास्त्र) और अल्ताफ अमीनसाब मुलानी (परफार्मिंग आर्टस) इसका कोई प्रमाण उन्होंने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला है । दिनांक 06 फरवरी को यू.जी.सी. ने अपनी वेबसाइट पर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की जो सूची जारी की (01.012.2014 की स्थिति में), उनमें डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के 3 पद विकलांग श्रेणी के लिए रिक्त बताए हैं । इसका अर्थ है कि या तो आज भी विकलांगों के सहायक प्राध्यापक के तीन पद विश्वविद्यालय में रिक्त हैं जिन्हें विश्वविद्यालय भरना नहीं चाहता है या फिर चयन की बात जो कही कई है, वह झूठी है । श्री देशमुख के पास नेट योग्यता नहीं है । अतः उनका कथित चयन नियमों के विरुद्ध है, जैसा कि साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची में उनके नाम के आगे विवरण में उल्लिखत है । अतः हिन्दी की जगह रसायन विभाग में उसे भरने का प्रयास किया गया है और जल्दी से हिंदी की जगहों को भर दिया गया है । श्री पंकज चतुर्वेदी का साक्षात्कार सूची में कोई नाम नहीं था । शिकायतकर्ता ने दिनांक 28.10.2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया के भोपाल अंक (इंटरनेट पर) में प्रकाशित विश्वविद्यालय के द्वारा की गई अनियमितताओं एवं अन्य प्रकार के आरोप भी लगाए हैं ।

12. प्रतिवादी के उत्तर दिनांक 14.11.2013 एवं शिकायतकर्ता के टिप्पण दिनांक 17.02.2014 के मद्देनजर मामला सुनवाई के लिए दिनांक 13.05.2014 को नियत किया गया ।

13. दिनांक 13.05.2014 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और एक निःशक्त व्यक्ति अर्थात् श्री देशमुख मिलन मधुसूदन जिन्हें रसायन विभाग में सहायक प्राध्यापक नियुक्त किया गया है, का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि उन्होंने नेट परीक्षा पास नहीं की हुई है, अतः वे योग्यता मानदंड को पूरा नहीं करते । शिकायतकर्ता ने आगे निवेदन किया कि शिकायतकर्ता को उनके अंकों के आधार पर योग्यताक्रम सूची में तीसरे स्थान पर होना चाहिए था जबकि उसे 48वें स्थान पर रखा गया । उसने यह भी अभिकथन किया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शन सिद्धांतों के पैरा 2 के अनुसार शिकायतकर्ता को उनकी शैक्षिक योग्यता/अनुभव आदि के लिए अंक प्रदान नहीं किए गए ।

14. विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान काउन्सेल ने निवेदन किया कि डा. संजीव खैमरिया ने जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में 2013 की रिट याचिका संख्या 11603 पहले से ही दायर की हुई है, जिसमें सहायक प्राध्यापक सहित अनेक पदों की चयन सूची दिनांक 29.05.2013 को खारिज करने की प्रार्थना की गई है । शिकायतकर्ता ने यह निर्देश देने की मांग की कि उनका वांछित पद पर चयन किया जाए । शिकायतकर्ता को बनाई गई लघुतर सूची में सम्मिलित किया गया था और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था । तत्पश्चात्, चयन समिति ने उन्हें नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया ।

15. उपरोक्त मामले के दृष्टिगत चूंकि मामला मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है, इसलिए यह न्यायालय शिकायत के संबंध में आगामी कार्यवाही नहीं कर सकता और इस प्रकार मामला बन्द किया जाता है ।

हस्ता.

(पी. के. पिन्चा)

मुख्य आयुक्त (निःशक्तजन)